

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव(संसाधन) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।

पटना-15, दिनांक-01-04-2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-2 में प्रावधान है कि सभी प्रशासी विभाग/नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा योजना तथा गैर योजना मद के अन्तर्गत अपने विभाग से संबंधित सभी शीर्षों में चार-चार माह की अवधि के लिये अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कार्यालयों के लिये निम्नांकित प्रकार से राशि का आवंटन किया जाना है :-

- (क) 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक बजट से प्रावधानित राशि का 33%,
- (ख) 01 अगस्त से 30 नवम्बर तक बजट में प्रावधानित कुल राशि का अतिरिक्त 32% अर्थात् संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि के 65% तक,
- (ग) 01 दिसम्बर से 31 मार्च तक बजट में प्रावधानित कुल राशि का अवशेष 35% अर्थात् संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि का शत-प्रतिशत तक ।

समीक्षोपरांत वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के दृष्टिकोण से संदर्भित विभागीय पत्र (संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-2) में निहित चौमाही प्रतिशत बंधेज की शर्तों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्थापना प्रतिबद्ध व्यय एवं स्कीम (दोनों मदों) में निम्नवत शिथिल किया जाता है:-

क्र.	मांग संख्या/विपत्र कोड/इकाई	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	स्कीम
1	सभी मांग/विनियोग	100%	-
2	केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश) 02 से शुरू होने वाले उप शीर्ष	-	100%
3	केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश) 03 से शुरू होने वाले उप शीर्ष	-	100%
4	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम 04 से शुरू होने वाले उप शीर्ष	-	100%
5	राज्य स्कीम 01 एवं 05 से शुरू होने वाले उप शीर्ष	-	100%

विश्वासभाजन,

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव(संसाधन) ।

01/04/2024

ज्ञापांक:-एम-4-07/2023-3576/वि०

पटना, दिनांक-01-04-2024

प्रतिलिपि:-प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:-एम-4-07/2023-3576/वि०

पटना, दिनांक-01-04-2024
सचिव(संसाधन)। 1/4/2024

प्रतिलिपि:-विकास आयुक्त, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/माननीय लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त कार्यालय/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:-एम-4-07/2023-3576/वि०

पटना, दिनांक-01-04-2024
सचिव(संसाधन)। 1/4/2024

प्रतिलिपि:-माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री, बिहार के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक:-एम-4-07/2023-3576/वि०

पटना, दिनांक-01-04-2024
सचिव(संसाधन)। 1/4/2024

प्रतिलिपि:-श्री संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/श्री अजय कुमार ठाकुर, संयुक्त आयुक्त-सह-प्रभारी CFMS/सिस्टम एनालिस्ट/श्री प्रकाश चंद्र मिश्र, प्रभारी TCS, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव(संसाधन)।
1/4/2024